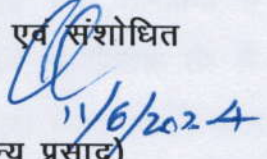
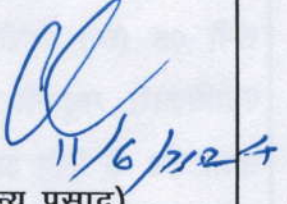


आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	Board of Revenue, Bihar, Patna Service Appeal Case No. 10 of 2022 Dist.:- Darbhanga PRESENT :- Sri Chaitanya Prasad, I.A.S., Chairman-Cum-Member. Md. Sarfuddin Ansari @ Sarfuddin - Petitioner/ Appellant Versus The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party Appearance : For the Appellant :- श्री आकाश चर्तुवेदी, विद्वान अधिवक्ता। For the Respondent :- मो० अकबर अली, वरीय प्रभारी स्थापना, उर्दू निदेशालय। <u>आदेश</u> 11.06.2024 यह सेवा अपील मो० शर्फुद्दीन अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक (सम्प्रति सेवानिवृत्त), मधेपुर प्रखंड, मधुबनी द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के आदेश संख्या-स्था० 3 रा०-52/84-72 दिनांक 06.05.2020-सह-ज्ञापांक-स्था०-3 रा०-52/84-438 दिनांक-06.05.2020 द्वारा अधिरोपित पेंशनादि पर तत्काल प्रभाव से रोक के दंड के विरुद्ध दायर किया गया है। मो० शर्फुद्दीन अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक (सम्प्रति सेवानिवृत्त), मधेपुर प्रखंड, मधुबनी पर मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवास योजना के तहत आवंटित राशि के भुगतान में अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित है। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक- 322 दिनांक 29.02.2020 द्वारा मो० शर्फुद्दीन अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक (सेवानिवृत्त), मधेपुर प्रखंड, मधुबनी से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत की गयी अवैध निकासी की राशि मु०	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	28,17,500/- (अठाइस लाख सत्रह हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की राशि वसूलनीय प्रतिवेदित होने के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा प्रतिवेदित राशि की विधिवत जाचोंपरात वसूली के लिए जिला पदाधिकारी, मधुबनी को प्राधिकृत किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-1317/जिला स्था०, दिनांक 25.07.2016 द्वारा मो० शर्फुद्दीन अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक (सम्प्रति सेवानिवृत्त), मधेपुर प्रखंड, मधुबनी के विरुद्ध आरोप-पत्र (प्रपत्र-‘क’) गठित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को उपलब्ध कराया गया। उनके विरुद्ध गठित आरोप-पत्र को अनुमोदित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के आदेश सं०- 91 दिनांक 27.09.2016 सह-पठित- ज्ञापांक- 695 दिनांक- 27.09.2016 द्वारा मो० अंसारी के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम- 43 (बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी को प्राधिकृत किया गया। तदालोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अपर समाहर्ता, मधुबनी के अधीन मो० अंसारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। अपीलार्थी द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन को संचालन पदाधिकारी द्वारा तथ्यों पर आधारित नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए अपीलार्थी को गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया एवं इनके विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। तदोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मो० अंसारी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आदेश संख्या-72 दिनांक 06.05.2020 द्वारा श्री अंसारी के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत पेंशनादि की राशि को तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गयी तथा श्री अंसारी द्वारा अपने सेवाकाल में की गयी अवैध निकासी/गबन की राशि-	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	28,17,500/- (अठाइस लाख सत्रह हजार पाँच सौ) की नियमानुसार वसूली हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी को प्राधिकृत किया गया। राजस्व पर्षद न्यायालय में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा समर्पित विभागीय मंतव्य में बताया गया कि मो० शफुद्दीन अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक (सम्प्रति सेवानिवृत्त), प्रखंड कार्यालय, मधेपुर, जिला-मधुबनी के विरुद्ध अधिरोपित सभी 06 (छः) आरोपों को जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये जाने तथा जिला पदाधिकारी, मधुबनी के प्रतिवेदन के आलोक में श्री अंसारी के विरुद्ध अधिरोपित उक्त दंड के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार एवं विभागीय जाँच पर आधारित बताया गया है। साथ ही श्री अंसारी द्वारा विभाग पर नियमों की अनदेखी करने के लगाये गये आरोप को विभाग द्वारा उचित नहीं बताते हुए श्री अंसारी द्वारा दायर अपील आवेदन पर विचार नहीं किये जाने एवं दंडादेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज किये जाने का अनुरोध विभागीय मंतव्य में किया गया है। अपीलार्थी सुनवाई में मौका देने के बावजूद बार-बार अनुपस्थित रहे। अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण अभिलेखों के आधार पर मामले का विवेचन किया गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया। मो० शफुद्दीन अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक (सम्प्रति सेवानिवृत्त), मधेपुर प्रखंड, मधुबनी के विरुद्ध मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय द्वारा अधिरोपित वित्तीय अनियमितता/गबन का आरोप गंभीर प्रकृति का है। इस मामले में अपीलार्थी के उपर वित्तीय अनियमितता के कारण F.I.R. दर्ज है एवं मो० अंसारी दिनांक-11.10.2017 से काराधीन रहे। इस संबंध में अपीलार्थी के विरुद्ध गबन की गयी राशि 28,17,500/- (अठाइस लाख सत्रह हजार पाँच सौ) की नियमानुसार वसूली उचित प्रतीत होती है।	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलार्थी के उपर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय द्वारा अधिरोपित दंड समानुपातिक एवं उपयुक्त है तथा इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अपील वाद खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  (चैतन्य प्रसाद) अध्यक्ष -सह- सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार।  (चैतन्य प्रसाद) अध्यक्ष -सह- सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार।	